अध्यक्ष केन्द्रीय चयन पर्षद
(सिपाही भर्त्ती) का कार्यालय
0 4 JAN 2023
बिहार (पटना)

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

–: आदेश :–

ज्ञापांक–11/आ०नी०–I–04/2021 सा॰प्र॰..................पटना–15, दिनांक–......................

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–2(3) में अंकित प्रावधानों के अनुरूप गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के अधीन बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के जिला समादेष्टा, कम्पनी कमांडर, अधिनायक लिपिक, अधिनायक अनुदेशक, सिपाही एवं सिपाही चालक (कुल–06 प्रकार के पदों), जिसे प्रशासी विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के कर्तव्य निवर्हन के लिए अनुपयुक्त माना गया है, को इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में दिव्यांगता आरक्षण से स्थायी रूप से विमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त आदेश निर्गत करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–2(3) में इसके लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

ह०/–
(रजनीश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–04/2021 सा0प्र0 151 पटना–15, दिनांक– 3.1.23

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/निःशक्तता आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती), बिहार, पटना/बिहार पुलिस सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

03/01/2023
सरकार के उप सचिव।